This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 19 जून, 2019 / 29 ज्येष्ठ, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

REVENUE DEPARTMENT

ADDENDUM

Shimla-2, the 18th June, 2019

No. Rev.B.A.(3)-1/2018.—In continuation of this department notification of even number dated 7-06-2019, the Governor, Himachal Pradesh is further pleased to add the words **"An investible project means any new project or existing project with substantial expansion in any sector approved by State Single Window Clearance and Monitoring Authority,"** after the words **"investible project"** appearing in second line of the serial No. 2 of the said notification.

By order,
Sd/-
(SHRIKANT BALDI),
Addl. Chief Secretary (Revenue).

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 29 मई, 2019

संख्या टी0सी0पी0–(बी)2–3/2014 (रूल्ज)पीओ.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग में योजना अधिकारी, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध– "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, योजना अधिकारी, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है।

(ii) ये नियम राजपत्र / ई गजटए हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**––(i) इस विभाग की अधिसूचना संख्या टीसीपी–(ए)3-1/95 (पार्ट)-I तारीख 2–5–2013 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, योजना अधिकारी, वर्ग–I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम (A)के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना,
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

––––––––––

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश, नगर एवं ग्राम योजना विभाग में योजना अधिकारी, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**–– योजना अधिकारी

2. **पद (पदों) की संख्या.**–– 31 (इकतीस)

3. **वर्गीकरण.**––वर्ग–I (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं

4. **वेतनमान.**––(i) **नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान.**–पे बैंड–3 ₹ 10300–34800 / – जमा ₹ 5000 / – ग्रेड पे ।

(ii) **संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां.**––स्तम्भ 15–क में दिए गए ब्योरे के अनुसार ₹ 15300/- प्रतिमास।

5. **"चयन" पद अथवा "अचयन"** पद.–– चयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.––18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमाएं तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहितए पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह ऐसी तदर्थ या संविदा के आधार पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य वर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जा सकेगा, जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत तथापि, पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी, जो तत्पश्चात, ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे ।

टिप्पण.–सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––(क) **अनिवार्य अर्हता(एं).**–(*i*) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय नगर योजनाकार संस्थान द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अरबन / सिटी / टाउन / रीजनल प्लानिंग मे बी. टैक की उपाधि।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय नगर योजनाकार संस्थान द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से प्लानिंग स्नातक या प्लानिंग में टैक्नोलोजी स्नातक या स्थापत्यकला स्नातकः

परन्तु उपरोक्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् नगर एवं ग्राम योजना विधियों या नगर एवं ग्राम योजना विभाग के अधीन गठित किसी प्राधिकरण के अन्तर्गत अरबन / सिटी / टाउन / रीजनल प्लानिंग में कम से कम तीन वर्ष का कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगाः

परन्तु यह कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय नगर योजनाकार संस्थान द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से नगर योजना के क्षेत्र अर्थात् अरबन प्लानिंग या सिटी प्लानिंग या टाउन प्लानिंग या रीजनल प्लानिंग या हाउसिंग प्लानिंग या कन्ट्री प्लानिंग या रूरल प्लानिंग या इंफ्रास्ट्रकचर प्लानिंग या ट्रांसपोर्ट प्लानिंग या रूरल एवं अरबन प्लानिंग या एनवायरनमैण्टल प्लानिंग में मास्टर ऑफ प्लानिंग / एम. टैक / स्नातकोत्तर उपाधि की उच्चतर अर्हता या इसके समतुल्य अर्हता रखने वाले पदधारी भी योजना अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए पात्र होंगे।

(ख) वांछनीय अर्हता.–हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.––आयु.–लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता.–हां, जैसी नीचे स्तम्भ संख्या 11 में विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.–– (i) सीधी भर्ती/प्रोन्नति की दशा में :

(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति.––भर्ती, सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.––(*i*) तीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर सैकण्डमैंट आधार पर ।

(*ii*) सत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैकण्डमैंट आधार पर ।

11. प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणिया (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.––(*i*) वरिष्ठ योजना प्रारूपकारों मे से प्रोन्नति द्वारा जो अरबन/सिटी/टाउन/रीजनल प्लानिंग में मान्यता प्राप्त बी. टैक की उपाधि या स्थापत्यकला या सिविल इंजीनियरिंग की उपाधि रखते हों और जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर निम्न वर्णित सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग (ii) में से प्रोन्नति द्वारा अठारह प्रतिशत

(ii) वरिष्ठ योजना प्रारूपकारों में से प्रोन्नति द्वारा, जो स्थापत्यकला असिसटैंटशिप में मान्यता प्राप्त तीन वर्षीय डिप्लोमा या प्रारूपकारिता के व्यवसाय में दो वर्ष के सर्टिफिकेट कोर्स रखते हों और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उपरोक्त वर्णित सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग (i) में से प्रोन्नति द्वारा सत्रह प्रतिशत

(iii) कनिष्ठ अभियताओं (सिविल) में से प्रोन्नति द्वारा जो अरबन/सिटी/टाउन/रीजनल प्लानिंग में बी. टैक की मान्यता प्राप्त उपाधि या सिविल इंजीनियरिंग/प्लानिंग में उपाधि रखते हों और जिनका 06 (छह) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसे न होने पर निम्न वर्णित सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग (iv) में से प्रोन्नति द्वारा पांच प्रतिशत

(iv) कनिष्ठ अभियंताओं में से प्रोन्नति द्वारा, जो सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा रखते हों और जिनका 09 (नौ) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने होने पर सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग (iii) और (अ) में से प्रोन्नति द्वारा छब्बीस प्रतिशत

(v) कनिष्ठ अभियंताओं में से प्रोन्नति द्वारा, जो सर्वेक्षक के व्यवसाय में 02 (दो) वर्ष का मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स रखते हों और जिनका 13 (तेरह) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तेरह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने होने पर उपरोक्त वर्णित सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग (iii) और (iv) में से प्रोन्नति द्वारा चार प्रतिशत

(vi) उपरोक्त सभी के न हो सकने पर, इस पद के पदधारियों जो अरबन/सिटी/टाउन/रीजनल प्लानिंग में बी.टैक की मान्यता प्राप्त उपाधि या स्थापत्यकला इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि या प्लानिंग में बी. टैक की उपाधि रखते हों और हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में समरूप वेतनमान में कार्यरत हों, में से सैकण्डमैंट आधार पर :

परन्तु योजना अधिकारी के पद को भरने के लिए निम्नलिखित 31 बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः–

भर्ती की पद्धति.––रोस्टर बिन्दु संख्या

सीधी भर्ती के लिए.––पहला, चौथा, सातवां, दसवां, चौदहवां, सत्रहवां, इक्कीसवां, चौबीसवां, और अठाइसवां

प्रवर्ग (i).— तीसरा, आठवां, प्रंदहवां, बाइसवां, छब्बीसवा, और इकतीसवां

प्रवर्ग (ii).— पांचवा, ग्यारहवां, अठारहवां, पच्चीसवां और तीसवां

प्रवर्ग (iii).— बारहवां और उनतीसवां

प्रवर्ग (iv).— दूसरा, छठवां, नौवां, तेरहवां, सोलहवां, बीसवां, तेईसवां और सताईसवां

प्रवर्ग (v).— उन्नीसवां

टिप्पण.–रोस्टर प्रत्येक 31वें बिन्दु के पश्चात् तब तक दोहराया जाता रहेगा, जब तक कि समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात्, रिक्ति उसी प्रवर्ग में से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त हुआ है।

प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवाएं यदि कोई हो इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने– अपने प्रवर्ग / पद / काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएगें और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो–होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.–अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसने अपातकाल के दौरान सशस्त्र बल में कार्यग्रहण किया था और जिसे डिमोबिलाइजड आमर्ड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—(*i*) विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।

(ii) विभागीय स्थायीकरण समिति जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.— सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.— इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :–

संकल्पना-I.––(क) इस पॉलिसी के अधीन, नगर एवं ग्राम योजना विभाग में योजना अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.**––अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (नगर एवं ग्राम योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

II. संविदात्मक उपलब्धियां.–संविदा के आधार पर नियुक्त योजना अधिकारी को ₹15300/– रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 459/–(पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

III. नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.––अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (नगर एवं ग्राम योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

IV. चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

V. संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

VI. करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबंध–"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

VII. निबन्धन और शर्तें.–(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹15300 / – प्रतिमाह की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 459 / – रुपए (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचाार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी / आरोग्य का प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ड.) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में चिकित्सा बोर्ड और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गभर्वती पाई

जाती है को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित होए तो वह उसी दर परएजैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ. आर.–एस. आर., छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी बीमा स्कीम के साथ–साथ ई.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.–– जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी / किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

––––––––––

उपाबन्ध–''ख''

योजना अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, प्रशासनिक सचिव (नगर एवं ग्राम योजना विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमती..... पुत्र / पुत्री श्री..... निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य प्रशासनिक सचिव (नगर एवं ग्राम योजना विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने योजना अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार योजना अधिकारी के रूप में..... से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 15300 / – रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

   अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

   परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी / आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावसी समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई.पी.एफ. / जी.पी. एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में :–
1.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.....
.....
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :–
1.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.....
.....
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-(B)2-3/2014, (Rules)PO dated 29-5-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th May, 2019

No. TCP-(B)2-3/2014(Rules)PO.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Planning Officer, Class-I (Gazetted) in the Department of Town & Country Planning, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Planning Officer, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2019.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings (i).—The Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Planning Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2013 notified *vide* this Department's Notification number TCP-(A)3-1/95-Part-I dated 2-5-2013, are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under subrule (1) *supra* shall be deemed to have been *validty* made or done or taken under these rules.

By order,

PRABODH SAXENA,
Principal Secretary (TCP).

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PLANNING OFFICER, CLASS-I (GAZETTED) IN THE TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the post.—** Planning Officer

2. **Number of post(s).—** 31(Thirty one)

3. **Classification.—** Class-I (Gazetted) Non-Ministerial Services

4. **Scale of pay.—** (*i*) *Pay-scale for regular incumbents*.—PB-3 ₹ 10300-34800 + ₹ 5000/- Grade Pay

(*ii*) *Emoluments for contract employees*.—R 15300/-per month as per details given in Column 15-A.

5. **Whether "Selection Post" or "Non-Selection Post".—** Selection

6. **Age for direct Recruitment.—** Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *adhoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such *ad hoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other Backward classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) *Essential Qualification(s*).—B.Tech Degree in Urban/City/Town/ Regional Planning from a recognized University or an Institute duly recognized by the Institute of Town Planners, India.

OR

Bachelor of Planning or Bachelor of Technology in Planning or Bachelor of Architecture from a recognized University or an Institute duly recognized by the Institute of Town Planners, India:

Provided that preference will be given to the candidates possessing at least 3 years experience in Urban/City/Town Regional Planning's work under any authority constituted under Town & Country Planning Laws or in the Town & Country Planning Department after acquiring the above qualification:

Provided further that the incumbents possessing higher qualification in the field of Town Planning *i.e* "Master of Planning/M.Tech/Post Graduate Degree in Urban Planning or City Planning or Town Planning or Regional Planning or Housing Planning or Country Planning or Rural Planning or Infrastructure Planning or Transport Planning or Rural & Urban Planning or Environmental Planning or its equivalent from a recognized University or an Institute duly recognized by the Institute of Town Planner, India shall also be eligible for recruitment to the post of Planning Officer.

Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s)?— *Age* : Not applicable.

Educational Qualification.— Yes, as prescribed under Column No.11 below.

9. Period of probation, if any.—*Direct Recruitment/Promotion.*—(*a*) Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled-in by various methods.—(*i*) 30% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis.

(*ii*) 70% by promotion failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made.—"(i) By promotion from amongst the Senior Planning Draughtsman possessing a recognized B.Tech Degree in Urban /City /Town/ Regional Planning or Degree in Architecture or Civil Engineering with 03 (Three) years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from the feeder category (ii) mentioned below 18%

(*ii*) By promotion from amongst the Senior Planning Draughtsman possessing a recognized 03 (Three) years Diploma in Architectural Assistantship or two years Certificate Course in the trade of Draughtsmanship with 05 (Five) years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, rednered if any, in the grade failing which by promotion from the feeder category (i) mentioned above 17%

(*iii*) By promotion from amongst the Junior Engineers (Civil) possessing a recognized B.Tech Degree in Urban /City/ Town/ Regional Planning or Degree in Civil Engineering /Planning with 06 (Six) years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from the feeder category (iv) mentioned below 5%

(*iv*) By promotion from amongst the Junior Engineers possessing a recognized 03 (Three) years Diploma in Civil Engineering with 09 (Nine) years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from the feeder category (iii) & (v) 26%

(*v*) By promotion from amongst the Junior Engineers possessing a recognized 02 (two) years certificate course in the trade of Surveyor with 13 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from the feeder category (iii) & (iv) mentioned above 4%

(*vi*) Failing all on secondment basis from amongst the incumbents of this post possessing a recognized B.Tech Degree in Urban/City/Town/Regional Planning or Degree in Architectural Engineering or Civil Engineering or B.Tech Degree in Planning and working in the identical pay scale from other H.P. Government Departments:

Provided that for filling up the post of Planning Officer the following 31 points recruitment roster shall be followed.

Mode of Recruitment	**Roster Point No.**
Direct Recruit	1, 4, 7, 10, 14, 17, 21, 24 & 28
category (i)	3, 8, 15, 22, 26 &31
category (ii)	5, 11, 18, 25 & 30.
category (iii)	12 & 29
category (iv)	2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 & 27
category (v)	19

Note.— The roster shall be repeated after 31st point till the representation to all the categories is achieved upto the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled from amongst the category which vacates the post.

In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R& P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion:

Explanation.— The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(1) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules;

Provided that *interse*-seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—(*i*) *Departmental Promotion Committee.*— DPC to be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a member thereof to be nominated by him.

(*ii*) *Departmental Confirmation Committee.*—As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the H.P. Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of interview /personality test preceded by a screening test (objective test)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Commission /other recruiting authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

I CONCEPT.—(*a*) Under this policy the Planning Officer in the Department of Town & Country Planning, HP will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned Head of Department shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(*b*) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION.—** The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (TCP) to the Govt. of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(*c*) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Planning Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 15300/-per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹ 459/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (TCP) to the Govt. of H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the H.P. Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(*a*) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 15300/- per month (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 459/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(*b*) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(*c*) The Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one-month's service, 10 days' Medical Leave and 5 days' special leave in a Calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180

days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract appointee shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(*d*) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(*e*) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(*f*) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(*g*) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(*h*) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to the orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination, Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to Relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Planning Officer & the Government of Himachal Pradesh through Adminsitrative Secretary (TCP)

This agreement is made on this …….. day of ……. in the year……..between Sh/Smt.……s/o/d/o Shri…..……r/o……, contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Adminsitrative Secretary(TCP) (here in after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Planning Officer on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Planning Officer on contract basis for a period of 1 year commencing on day of ……and ending on the day of ……It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on …… and information notice shall not be necessary:

   Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contrct is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 15300/- per month.

3. The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The Contract Appointee will be entitled for one day Casual Leave after putting one month service, 10 days' Medical Leave and 5 days' Special Leave in a Calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract appointee shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
   Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while

considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by District Government Medical Officer in the case of Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties *i.e.* in Police Organization etc., and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, he may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1…….

……..

2. …….

……..

(Name and Full Address) (Signature of the FIRST PARTY)

1. …….
…….

2. …….

……..

(Name and Full Address) (Signature of the SECOND PARTY)

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

OFFICE ORDER

Shimla-9, the 13th June, 2019

No. P.F./LSA/Secretaries/2016.—Hon'ble the Acting Chief Justice & Executive Chairman, H.P. State Legal Services Authority has been pleased to grant *ex-post-facto* sanction of 3 days commuted leave on medical ground *w.e.f.* 4-6-2019 to 6-6-2019 (3x2=6days) in favour of Smt. Akshi Sharma, Secretary, District Legal Services Authority, Bilaspur.

Certified that Smt. Akshi Sharma had joined the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after the expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Akshi Sharma, would have continued to hold the post of Secretary, District Legal Services Authority, Bilaspur but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Administrative Officer.

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

OFFICE ORDER

Shimla-9, the 13th June, 2019

No. P.F./LSA/Secretaries/2016.—Hon'ble the Acting Chief Justice & Executive Chairman, H.P. State Legal Services Authority has been pleased to grant *ex-post-facto* sanction of 6 days earned leave *w.e.f.* 24-04-2019 to 29-04-2019 in favour of Smt. Akshi Sharma, Secretary, District Legal Services Authority, Bilaspur.

Certified that Smt. Akshi Sharma will join the same post and at the same station from where she proceeds on earned leave, after the expiry of the above leave period.

Also certified that Smt. Akshi Sharma, would have continued to hold the post of Secretary, District Legal Services Authority, Bilaspur but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Administrative Officer.

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

OFFICE ORDER

Shimla-9, the 17th June, 2019

No. P.F./LSA/Secretaries/2016.—Hon'ble the Executive Chairman, H.P. State Legal Services Authority has been pleased to grant 10 days earned leave *w.e.f.* 24-6-2019 to 3-7-2019 with permission to prefix Sunday falling on 23-6-2019 in favour of Shri Pankaj, Secretary, District Legal Services Authority, Chamba.

Certified that Shri Pankaj will join the same post and at the same station from where he proceeds on earned leave, after the expiry of the above leave period.

Also certified that Shri Pankaj would have continued to hold the post of Secretary, DLSA Chamba, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Member-Secretary.

MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th June, 2019

No. HFW-B((B)14-1/2018.—As per "Policy for Cadre Building in Newly opened Medical Colleges in the State of Himachal Pradesh" notified *vide* this Department Notification of even No. dated 17th November, 2018 the cadres of all the new Medical Colleges of the State have been separated.

In pursuance of the provision of the policy, the department of Health & Family Welfare had invited options from regular faculty members of IGMC & Dr. RPGMC Tanda and from GDO's for permanent encadrement at the level of professor/Associate Professor/Assistant Professor in Dr. YSPGMC Nahan, but no promotions could be held for the Department of Pharmacology , Community Medicine, Chest & TB, Dermatology & Pathology at Assistant Professor level for Dr. YSPGMC Nahan, because no candidate was eligible for the aforesaid posts.

In pursuance of the provisions of the policy, the Department of Health and Family Welfare invites fresh options from desirous and eligible regular faculty members of IGMC & Dr. RPGMC, Tanda for permanent encadrement at the level of Assistant professor in the Departments of Pharmacology, Community Medicine, Chest & TB, Dermatology & Pathology in Dr. YSPGMC Nahan. Such faculty members exercising the option shall be posted on equivalent post. Such absorption shall imply permanent encadrement and the faculty opting for the same shall have no right of repatriation or transfer to any other cadre. Such desirous candidates should apply to the Directorate of Medical Education on the prescribed Performa within 15 days of issuing this notification beyond which no application/request of any kind shall be entertained.

Similarly, in pursuance of the provision of the policy the desirous and eligible regular GDO's (including designated Asstt. Prof.) working in Himachal Pradesh, are also invited to exercise their option for permanent encadrement in Dr. YSPGMC Nahan for the post of Assistant Professor in the Departments of Pharmacology, Community Medicine, Microbiology & Dermatology Departments through promotion. The promotions of such interested candidates, who will furnish their forms of options shall be conducted within one month of option period. In case, a junior GDO who has attained eligibility for the post of Assistant Professor in a particular subject fills up form of option for promotion and permanent encadrement in Dr. YSPGMC, Nahan and his/her senior GDO(s) have not filled up the option form to Dr. YSPGMC Nahan, the former shall be promoted without any consideration for the existing seniority position in the cadre of GDO's. Such desirous GDO candidates should apply to the Director Health Services on the prescribed proforma within 15 days of issuing the notification beyond which no application/request of any kind shall be entertained.

By order,

Sd/-
Addl. Chief Secretary (Health).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई–बी–एफ(14)–37 / 2012.–इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्र0 सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल / उप महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं महाल / उप ुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	24 / 2011	सिपुर	सिपुर	194, 250, 309, 313, 338, 339, 341 **कित्ता–7**	17–98–32	उत्तरः बहोग दक्षिणः डी0पी0एफ0 सिपुर पूर्वः सिपुर पश्चिमः देवठी	मशोबरा	शिमला–2	शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-37/2012, dated 27th May, 2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 27*th May*, 2019

No. FFE-B-F(14)-37/2012.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No.16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal /Up Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	24/2011	Sipur	Sipur	194, 250, 309, 313, 338, 339, 341 **Kitta-7**	17-98-32	North: Bahog South: DPF Sipur East: Sipur West: Devathi	Mashobra	Shimla-2	Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forest).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई–बी–एफ(14)–38 / 2012.–इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्र0 सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल / उप महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं महाल / उप महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	25 / 2011	देवठी–द्वितीय	देवठी	100, 162, 293, 294 **कित्ता–4**	12–95–17	उत्तरः देवठी दक्षिणः देवठी पूर्वः चनारटी पश्चिमः सिपुर	मशोबरा	शिमला–2	शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-38/2012, dated 27th May, 2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 27*th May*, 2019

No. FFE-B-F(14)-38/2012.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No.16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section- 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal /Up Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	25/2011	Devathi-II	Devathi	100, 162, 293, 294 **Kitta-4**	12-95-17	North: Devathi South: Devathi East: Chanarti West: Sipur	Mashobra	Shimla-2	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forest).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 मई, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई–बी–एफ(14)–39 / 2012.–इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्र0 सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल / उप–महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं महाल / उप–महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	40 / 2003	दोगड़ा	कटसारी	1 / 1, 220 / 1, 221 / 1 **कित्ता–3**	4–30–87	उत्तरः फियूकोटी दक्षिणः कटसारी पूर्वः कटसारी पश्चिमः डी0पी0एफ0 मेलठी	टिक्कर	रोहडू	शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-39/2012, dated 27th May, 2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 27*th May*, 2019

No. FFE-B-F(14)-39/2012.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No.16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act *ibid,* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section- 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal /Up-Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	40/2003	Dogda	Katsari	1/1, 220/1, 221/1 **Kitta-3**	4-30-87	North: Phiyukoti South: Katsari East: Katsari West: DPF Melthi	Tikker	Rohru	Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forest).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 मई, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई–बी–एफ(14)–40 / 2012.–इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्षित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्र0 सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल/उप–महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं महाल/उप–महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	44/2003	शालनी – गणासी	कड़ीवन	39, 40/1, 42, 43/1, 45, 46, 47/1, 49/1, 50/1, 237/1, 245/1, 249/1, 269/1, 270/1, 299/1, 317/1, 334/1, 341/1, 712/1/1, 726/1, 727/1, 763/1, 770/1, **किता–23**	102–70–83	उत्तरः कड़ीवन दक्षिणः फरोग, जरोग पूर्वः डी0पी0एफ0 फरोग पश्चिमः यू0पी0एफ0 चम्बी	टिक्कर	रोहड़ू	शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-40/2012, dated 27th May, 2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 27*th May*, 2019

No. FFE-B-F(14)-40/2012.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No.16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section- 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal /Up-Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	44/2003	Shalni-Ganasi	Kadeewan	39, 40/1, 42, 43/1, 45, 46, 47/1, 49/1, 50/1, 237/1, 245/1, 249/1, 269/1, 270/1, 299/1, 317/1, 334/1, 341/1, 712/1/1, 726/1, 727/1, 763/1, 770/1 **Kitta-23**	102-70-83	North: Kadeewan South: Farog, Jarog East: DPF Farog West: UPF Chambi	Tikker	Rohru	Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forest).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 मई, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई–बी–एफ(14)–41 / 2012.–इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्र0 सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल / उप–महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं महाल / उप–महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	46 / 2003	नालड़ी–गाड़	कटसारी	695 / 1, 696 / 1, 697 / 1 **कित्ता–3**	1–36–66	उत्तरः कटसारी दक्षिणः डी0पी0एफ0 मेलठी पूर्वः कटसारी पश्चिमः कटसारी	टिक्कर	रोहडू	शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-41/2012, dated 27th May, 2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 27*th May,* 2019

No. FFE-B-F(14)-41/2012.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No.16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section- 29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal /Up-Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	46/2003	Naldi Gad	Katsari	695/1, 696/1, 697/1 **Kitta-3**	1-36-66	North: Katsari South: DPF Melthi East: Katsari West: Katsari	Tikker	Rohru	Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forest).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 मई, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई–बी–एफ(14)–42 / 2012.–इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्र0 सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल / उप–महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं महाल / उप–महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	47 / 2003	डडोर–गाड़	गुजान्दली	1 / 1, 43 / 1, 144 / 1 **कित्ता–3**	7–54–95	उत्तरः दरोटी दक्षिणः गुजान्दली पूर्वः गुजान्दली पश्चिमः गुजान्दली	टिक्कर	रोहडू	शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-42/2012, dated 27th May, 2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 27*th May*, 2019

No. FFE-B-F(14)-42/2012.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No.16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section- 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal /Up Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	47/2003	Dador- Gad	Gujandli	1/1, 43/1, 144/1 **Kitta-3**	7-54-95	North: Daroti South: Gujandli East: Gujandli West: Gujandli	Tikker	Rohru	Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forest).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 मई, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई–बी–एफ(14)–43 / 2012.–इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्र0 सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल / उप–महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं महाल / उप–महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	48 / 2003	बाड़ा	फरोग बटाड़ा	22, 24, 25, 26 / 1, 29 / 2, 30 / 1, 1, 2 / 1, 13 / 1, 48 / 3 **कित्ता–10**	153–05–73	उत्तरः फरोग दक्षिणः बटाड़ा पूर्वः फरोग पश्चिमः बघाल	टिक्कर	रोहडू	शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-43/2012, dated 27th May, 2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 27*th May*, 2019

No. FFE-B-F(14)-43/2012.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No.16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section- 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal /Up Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/Up Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	48/2003	Bara	Farog Batara	22, 24, 25, 26/1, 29/2, 30/1, 1, 2/1, 13/1, 48/3 **Kitta-10**	153-05-73	North: Farog South: Batara East: Farog West: Baghal	Tikker	Rohru	Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forest).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 मई, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई–बी–एफ(14)–44 / 2012.–इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्र0 सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल / उप–महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं महाल / उप–महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	49 / 2003	टाहू	चुन्जर	129 / 1, 144 / 1, 147 / 1, 150 / 1, 162 / 1, 199 / 1, 237 / 1, 239 / 1 **कित्ता–8**	32–79–24	उत्तरः चुन्जर दक्षिणः डी0पी0एफ0 गंगानगर पूर्वः चुन्जर पश्चिमः टाहू	टिक्कर	रोहडू	शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-44/2012, dated 27th May, 2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 27*th May,* 2019

No. FFE-B-F(14)-44/2012.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No.16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section- 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal /Up Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	49/2003	Tahu	Chunjar	129/1, 144/1, 147/1, 150/1, 162/1, 199/1, 237/1, 239/1 **Kitta-8**	32-79-24	North: Chunjar South: DPF Ganganagar East: Chunjar West: Tahu	Tikker	Rohru	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forest).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 मई, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई–बी–एफ(14)–45 / 2012.–इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्र0 सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल / उप–महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं महाल / उप–महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	51 / 2003	सोल्डूगाड़	हस्टाड़ी टीर	1 / 1, 9, 10 / 1, 12 / 1, 31 / 1, 68 / 1, 70 / 1 **कित्ता–7**	112–22–62	उत्तरः खलावन दक्षिणः खागटा पूर्वः डी0पी0एफ0 हस्टारी पश्चिमः डी0पी0एफ0 शीली	टिक्कर	रोहडू	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-45/2012, dated 27th May, 2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 27*th May*, 2019

No. FFE-B-F(14)-45/2012.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No.16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section- 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal/ Up-Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/ Up- Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	51/2003	Soldu Gad	Hastari Teer	1/1, 9, 10/1, 12/1, 31/1, 68/1, 70/1 **Kitta-7**	112-22-62	North: Khalawan South: Khagta East: DPF Hastari West: DPF Shilli	Tikker	Rohru	Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forest).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 मई, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई–बी–एफ(14)–46 / 2012.–इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्र0 सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल / उप–महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं महाल / उप–महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	86 / 2003	ओड़ी धार	धरोट	15 / 1 (पुराना बन्दोबस्ती), 15 / 1, 47 / 1 **कित्ता–3**	31–45–63	उत्तरः डी0पी0एफ0 शील दक्षिणः झालड़ी पूर्वः डी0पी0एफ0 शील पश्चिमः धरोट	टिक्कर	रोहडू	शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-46/2012, dated 27th May, 2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 27*th May*, 2019

No. FFE-B-F(14)-46/2012.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No.16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section- 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal/ Up/ Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/ Up- Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	86/2003	Odi Dhar	Dharot	15/1 (Old Settlement), 15/1, 47/1 **Kitta-3**	31-45-63	North: DPF Shill South: Jhaldi East: DPF Shill West: Dharot	Tikker	Rohru	Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forest).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला –2, 30 मई, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–1 / 2014.–इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

नस्ति सं0	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
57	घराणू	घराणू 157	17,18,19,20,21, 22, 23, 24, 25, 30, 57/1, 93, 94, 96, 100, 112, 113, 114, 116, 117,118,119, 119/1, 120, 121,122, 123,124,125,126,127, 134,137,139,140,141, 142,143,144,147,148, 152/1, 154, 156 **कित्ता–44**	31–33–17	उत्तरः सीमा महाल डगाहण धलेरा व अराजी महाल घराणू दक्षिणः रास्ता महाल घटेहड़ पूर्वः डी0पी0 एफ0 झुंगादेवी पश्चिमः अराजी महाल घराणू	पालमपुर	पालमपुर	कांगड़ा
		बन 152	1, 2, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 8 **कित्ता–8**	10–44–73				
		घमूं 130	6, 17, 18, 53, 54, 55, 56/1, 57, 61, 147, 148, 149, 412, 413, 414/1, 415/1, 447, 794 **कित्ता–18**	14–85–81				
			कुल कित्ता–70	56–63–71				

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-1 /2014, dated 30th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 30t*h May*, 2019

No. FFE-B-F(14)-1/2014.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast no.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Division	District
57	Gharanu	Gharanu 157	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 57/1, 93, 94, 96, 100, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 119/1, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 134, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 152/1, 154, 156 **Kita- 44**	31-33-17	North: Boundary Muhal Dagahan Dhalera and area Muhal Gharanu South: Path of Muhal Ghatehar	Palampur	Palampur	Kangra
		Ban 152	1, 2, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 8, **Kita- 8**	10-44-73	East: D.P.F. Jhunga Devi			
		Ghamun 130	6, 17, 18, 53, 54, 55, 56/1, 57, 61, 147, 148, 149, 412, 413, 414/1, 415/1, 447, 794, Kita-18	14-85-81	West: Area Muhal Ghamun			
			Total Kita- 70	56-63-71				

By order,

RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forest).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 30 मई, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–2 / 2014.–इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

नस्ति सं0	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
58	लाहडू	बन 152	86, 91 / 2, 92, 93, 94 **कित्ता–5**	12–67–29	उत्तरः डी0पी0 एफ0 झुंगादेवी	पालमपुर	पालमपुर	कांगड़ा
		लाहड बनाहडा 150	1, 4, 171 / 1, 172, 176, 579, 581 **कित्ता–7**	14–85–87	दक्षिणः अराजी महाल गलूही, लाहड मलांहचा, लाहड बनाहडा			
		लाहड मलांहचा 151	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 56, 57, 118, 119, 121, 168, 169 / 1, 266 / 1, 267, 268, 269 / 1, 363, 365, 366, 371 / 1, 372, 373, 374, 375 **कित्ता–30**	13–15–94	पूर्वः अराजी महाल बन व बरसोला			
					पश्चिमः बस्ती घटेहड व सीमा महाल घमूं			
		गलूही 131	1 / 1, 16 / 1, 58 / 1, 65, 66 67, 68 / 1, 131. **कित्ता–8**	6–68–14				
			कुल कित्ता 50	**47–37–24**				

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)- 2/2014, dated 30th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 30*th May*, 2019

No. FFE-B-F(14)-2/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section-29 of the Act *ibid,* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Division	District
58	Lahru	Ban 152	86,91/2,92,93,94 **Kita- 5**	12-67-29	North: DPF Jhunga Devi South: Area Muhal Gluhi, Lahar Mlancha, Lahar Bnahara East: Area Muhal Ban and Barsola West: Basti Ghatehar and Basti Muhal Ghamun	Palampur	Palampur	Kangra
		Lahar Bnohara 150	1,4,171/1,172,176, 579,581 **Kita- 7**	14-85-87				
		Lahar Mlancha 151	1,2,3,7,8,9,10,11,19 20,21,56,57,118,11 9, 121,168,169/1,266/ 1, 267,268,269/1,363, 365,366,371/1,372, 373,374,375	13-15-94				
		Gluhi 131	**Kita-30** 1/1,16/1,58/1,65,66, 67, 68/1,131	6-68-14				
			Kita- 8 Total Kita- 50	**47-37-24**				

By order,

RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forest).

CHANGE OF NAME

I, Neeraj Kumar aged 50 years, s/o Sh. Manohar Lal Gupta, r/o Ward No. 5, Nurpur, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. do hereby solemnly affirm and declare on affidavit dated 07-06-2019 that I have changed my name from Neeraj Kumar to Neeraj Mahajan. So in future I may be known as Neeraj Mahajan for all purposes and necessary records.

NEERAJ KUMAR,
s/o Sh. Manohar Lal Gupta,
r/o Ward No. 5, Nurpur, Tehsil Nurpur,
District Kangra, H.P.

CHANGE OF NAME

I, Kanta Chauhan w/o Sh. Veer Singh Chauhan, r/o Village Mahalana, P.O. Sarsoo, Sub-Tehsil Narag, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, H.P. do hereby solemnly affirm and declare that I have changed my name from Kanta Chauhan to Kanta Kumari, so in future I may be known as Kanta Kumari for all purposes and necessary records.

KANTA CHAUHAN,
w/o Sh. Veer Singh Chauhan,
r/o Village Mahalana, P.O. Sarsoo,
Sub-Tehsil Narag, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, H.P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है